तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20-12-21	प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि निगरानीकर्ता द्वारा पंचायत की आबादी भूमि में आम रास्ते पर अतिक्रमण करने की वजह से उसे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के निमय 165(3) के तहत अतिक्रमण हटाने हेतु नोटिस दिया गया था। निगरानीकर्ता ने उक्त नोटिस का जवाब नहीं देकर सीधे ही यह निगरानी प्रार्थना–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो अपरिपक्व होने से खारिज योग्य है। निगरानीकर्ता को उक्त नोटिस का जवाब देकर अपने जवाब के समर्थन में साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये जाने चाहिये, उसके पश्चात अंतिम निर्णय होने पर उसके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर सकता है। अतः निगरानीकर्ता की यह निगरानी संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने का आदेश फरमावें। प्रार्थी के अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि विप्रार्थी ने प्रार्थी के विधिसम्मत कब्जे को अतिक्रमण बताते हुए हटाने का अंतिम आदेश दिया है न कि प्रार्थी को जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विप्रार्थी ने प्रार्थी को नोटिस नहीं देकर अतिक्रमण हटाने का अंतिम आदेश पारित किया है जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर आलौच्य आदेश की वैधता, सत्यता एवं अनियमितता की कसौटी पर परीक्षणोपरान्त निरस्त करने हेतु निवेदन किया है। हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया जिससे पाया जाता है कि ग्राम पंचायत अरणियाली द्वारा प्रार्थी निगरानीकर्ता के विरूद्ध राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 165(3) के तहत नोटिस क्रमांक 69 दिनांक 16.02.2021 जारी कर ग्राम पंचायत अरणियाली की आबादी भूमि के खसरा नंबर 130 में विधिविरूद्ध किये गये अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिये गये हैं। प्रार्थी को उक्त नोटिस में 15 दिवस की समयावधि प्रदान करते हुए बाद गुजरने मयाद ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने की हिदायत की गई है। इस संबंध में नियम 165(3) का अवलोकन करने से पाया जाता है कि ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि के सर्वे उपरान्त यदि किसी व्यक्ति का अनाधिकृत अतिक्रमण पाया जावे तो उसे नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने एवं उसको समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अंतिम आदेश पारित किये जाने का प्रावधान विहित किया गया है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी को नोटिस जारी कर 15 दिवस का समय दिया गया है, ऐसे में यदि प्रार्थी विवादित भूमि पर अपना विधिसम्मत कब्जा होना मानता है तो उसे ग्राम पंचायत के समक्ष साक्ष्य सहित जवाब प्रस्तुत कर चाराजोही करनी चाहिये तथा पंचायत द्वारा उस पर लिये जाने वाले अंतिम निर्णय से असहमत हों तो सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर सकता है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना–पत्र उपर्युक्त नियमानुसार अपरिपक्व होने एवं संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थी ग्राम पंचायत के समक्ष उपस्थित होकर आलौच्य नोटिस का जवाब एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत कर चाराजोही करें। अप्रार्थी सरपंच, ग्राम पंचायत को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं साक्ष्य सबूतों के परिप्रेक्ष्य में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित करें। प्रार्थी यदि ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश से असहमत हों तो वह सक्षम न्यायालय/अधिकारी के समक्ष चाराजोही हेतु स्वतंत्र रहेगा। आदेश आज दिनांक 20.12.2021 को सुनाया गया। अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:30:35 IST
Reason: SelfAttested